

राजस्थान-सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, कोटा
खनिज भवन, टैगोर नगर, प्लॉट नम्बर 3, रावतभाटा रोड, कोटा
E mail - me.kota@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/कोटा/अवैध खनन/नीलामी/2024/585

दिनांक:- 03/02/2024

-: नीलामी विज्ञप्ति :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोटा जिले में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी/मैसेनरी स्टोन की नीलामी हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदाएं दिनांक 14.02.2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा (खनिज भवन, प्लॉट नम्बर 3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा) के कमरा नम्बर 115 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबन्द निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 15.02.2024 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 114 में खोली जायेगी। जिस किसी को इस नीलामी में भाग लेना है, निविदा फार्म कार्यालय में राशि ₹0 100/- जमा करा प्राप्त कर नियत तिथि को निम्न विवरण अनुसार बयाना राशि जरिए डीडी/बैंकर्स चैक सहित निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	नीलामी सूचना संख्या	जब्तशुदा खनिज के स्थान का विवरण			जब्तशुदा खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (₹0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (₹0 में)	खनिज
		निकट ग्राम	तहसील जिला	जिला				
1	01/2024	ईटावा	पीपल्दा	कोटा	110	9900	99000	बजरी
2	02/2024	ईटावा	पीपल्दा	कोटा	90	8100	81000	बजरी
3	03/2024	लखावा	लाडपुरा	कोटा	500	45000	450000	बजरी
4	04/2024	लखावा	लाडपुरा	कोटा	900	31500	315000	मैसेनरी स्टोन
5	05/2024	बड़ोद	दीगोंद	कोटा	16	1440	14400	बजरी
6	06/2024	खेडीयामन	इंदरगढ़	बून्दी	80	4000	40000	बजरी
7	07/2024	खेडीया दूरजन	इंदरगढ़	बून्दी	300	15000	150000	बजरी
8	08/2024	बिसनवास	पीपल्दा	कोटा	120	10800	108000	बजरी
9	09/2024	झालीजी का बराना	केशोरायपाटन	बून्दी	300	15000	150000	बजरी
10	10/2024	मुण्डली	पीपल्दा	कोटा	140	12600	126000	बजरी
11	11/2024	मुण्डली	पीपल्दा	कोटा	80	7200	72000	बजरी
12	12/2024	झोटोली	दीगोंद	कोटा	250	22500	225000	बजरी
13	13/2024	खेखला	दीगोंद	कोटा	180	16200	162000	बजरी
14	14/2024	झोटोली	दीगोंद	कोटा	350	31500	315000	बजरी
15	15/2024	लोकल सिटी	लाडपुरा	कोटा	8	720	7200	बजरी
16	16/2024	खातोली	पीपल्दा	कोटा	675	60750	607500	बजरी
17	17/2024	खातोली	पीपल्दा	कोटा	30	2700	27000	बजरी
18	18/2024	दीपपुरा	लाडपुरा	कोटा	1250	43750	437500	मैसेनरी स्टोन

नोट:- खनिज बजरी/मैसेनरी स्टोन नीलामी की शर्तें विभागीय कार्यालयों (खनि अभियन्ता, कोटा) एवं विभागीय वेबसाइट mines.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

दिनांक 03-02-2024
सहायक खनि अभियन्ता,
कोटा

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 115 पर रखें टेन्डर बॉक्स में दिनांक 14.02.2024 को प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ ऊपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता कोटा के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बेकर्स चैक अलग-अलग ही संलग्न करने होंगे। निविदा राशि 10 रू० प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएं कमेटी द्वारा दिनांक 15.02.2024 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा के कमरा नम्बर 114 में खोली जाकर उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 15 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो

116

- संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।
15. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

lib
3-02-2024

(राजेन्द्र भट्ट)

सहायक खनि अभियन्ता,
कोटा

दिनांक:- 02/02/2024

क्रमांक:- खअ/कोटा/अवैध खनन/2024/526 - 596

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, कोटा।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शहर/ग्रामीण।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), कोटा-जोन, कोटा।
6. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, कोटा-वृत्त, कोटा।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), कोटा-वृत्त, कोटा।
8. खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी।
9. सहायक लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. तकनीकी स्टाफ कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

lib
3-02-2024

सहायक खनि अभियन्ता,
कोटा